फा.सं. 1-39/2019/प्रशा-I

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(वीबीडी प्रभाग)

विषय: राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) हेतु उपनिदेशक (कीट विज्ञान) तथा केंद्रीय समन्वयन अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन संबंधी जन सूचना।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं. एबी.14017/16/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) हेतु उपनिदेशक (कीट विज्ञान) तथा केंद्रीय समन्वयन अधिकारी के पद के भर्ती नियमों की प्रारूप अधिसूचना सर्वसाधारण के सूचनार्थ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति / टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टेकहोल्डर, प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपने सुझाव श्री शोरन सिंह, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 753-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली–110008 को लिखित रूप में या ई-मेल पते shorn.singh27@gov.in and sovbdhfw@gmail.com पर भेज सकते हैं।

नई दिल्ली

दिनांक:

(शोरन सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन नं: 23061436

[भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2021

सा.का.नि.................. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, दिल्ली (समूह 'क' पद) भर्ती नियमावली, 1985 को, जहां तक उनका सम्बन्ध उपनिदेशक (कीट विज्ञान) तथा केंद्रीय समन्वयन अधिकारी पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय, दिल्ली में उप निदेशक (कीट विज्ञान) तथा केंद्रीय समन्वयन अधिकारी की भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय, दिल्ली,उप-निदेशक (कीट विज्ञान) और केंद्रीय समन्वयन अधिकारी (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है;, या विवाह की संविदा की है ;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति –** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति –** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप-निदेशक (कीट विज्ञान) और केंद्रीय समन्वयन अधिकारी	2* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (रु. 78800-209200)	चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा निदेशों अथवा जारी अनुदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक सरकारी कर्मचारी के लिए छूट) टिप्पण: भारत में आयु-सीमा निर्धारण की तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी (न कि वह नियत तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखण्ड, तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।	अनिवार्य: (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कीटविज्ञान के साथ एमएससी जंतुविज्ञान और जंतुविज्ञान में पीएचडी (ii) केंद्र/राज्य सरकार अथवा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन अथवा स्वायत्तशासी अथवा वैधानिक संगठनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान की किसी स्कीम के तहत चिकित्सा कीटविज्ञान/ सार्वजनिक स्वास्थ्य कीटविज्ञान या वेक्टर जनित रोग के क्षेत्र में प्रशिक्षण और/अथवा अनुसंधान में 12 वर्षों का अनुभव। वांछनीय : केंद्र /राज्य सरकार की किसी स्कीम के तहत मान्यताप्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय से अतिरिक्त चिकित्सा कीटविज्ञान/ वेक्टर जीवविज्ञान/ सार्वजनिक स्वास्थ्य कीटविज्ञान अथवा वेक्टर जनित रोगों में प्रशिक्षण। नोटः-1 अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर कारण लेखबद्ध करके, शिथिल की जा सकती है। नोटः-2 संघ लोक सेवा के विवेक पर अनुभव से संबंधित अर्हता में कारण लेखबद्ध करके छूट दी जा सकती है यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का मत है कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों से पर्याप्त अभ्यर्थियों की संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
नहीं	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष	पदोन्नति से न भरे जा सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	पदोन्नति ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-II में सहायक निदेशक (कीटविज्ञान)	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पदोन्नति हेतु विचार करने के लिए) 1. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग-अध्यक्ष 2. अपर सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय-सदस्य 3. उप महानिदेशक/अपर महानिदेशक, डीजीएचएस-सदस्य समूह 'क' डीपीसी (नियमितीकरण हेतु विचार करने के लिए):- 1. संयुक्त सचिव (संबंधित), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय-अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक (संबंधित)/निदेशक (एऍडवी)-सदस्य 3. निदेशक, एनवीबीडीसीपी-सदस्य	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

फा.सं. 1-39/2019/प्रशा-I

(शोरन सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार